फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दीपिका देवी बनाम चुन्नी

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....05.....सन..2023...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
05/01/23 06/01/2023 CAV राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा मुकदमा संख्या 67/2011 बउनवान चुन्नी बनाम लीला में पारित आदेश दिनांक 03.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने एक वाद वादग्रस्त आराज़ी के संबध में प्रस्तुत कर अन्तर्गत धारा 40, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने पश्चात लगभग 11 वर्ष का समय बीत चुका है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 39 नियम 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि 30 दिन की अवधि में दोनो पक्षों की बहस सुनी जाकर स्थगन आदेश को आगे बढाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 की ओर से केवल मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से स्थगन आदेश आगे बढाया जा रहा है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2011 को पारित करने के तुरंत पश्चात आदेश 39 नियम 3 ए की पालना की जानी चाहिए थी जिसमें उक्त स्थगन आदेश की कॉपी मय प्रार्थना पत्र तीन दिन के भीतर-भीतर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्री भेजकर उसकी पालना रिर्पोट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश करनी चाहिए थी। एक पक्षीय आदेश पारित करने के पश्चात आदेश 39 नियम 3 ए की पालना कराने का मेन्डेटरी प्रावधान है जिसकी पालना नही की गई। धारा 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान से स्पष्ट है कि जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए यदि ऐसा करने में असमर्थ है तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चहिए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2011 के पश्चात आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 11 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण में तामिल नहीं हो पाई है, एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए की अवहैलना स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है, जो न्यायालय की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। इस प्रकार इतनी लम्बी अवधि तक अंतरिम आदेश को अंतिम रूप से निस्तारित नहीं करने से आम आदमी का न्याय से विश्वास उठता है, एवं प्रभावित पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2011 को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2011 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2011 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 05/2022 दीपीका देवी बनाम चुन्नीदेवी वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12/1/23

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2011 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.01.2023 को प्रस्तुत की गई थी। जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनकर सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2011 मे पारित आदेश दिनांक 03.06.2011 को खारिज किया गया। उक्त आदेश के अन्तर्गत भूलवश लिपिकीय त्रुटि से दिनांक 06.01.2023 के स्थान पर दिनांक 05.01.2023 अंकित हो गया है।

इसके अतिरिक्त अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के अन्तर्गत भूलवश सहायक कलक्टर सांचौर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2011 के स्थान पर 63/2011 दर्ज हो गया है। अत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भूलवश लिपिकीय त्रुटि से दिनांक 06.01.2023 के स्थान पर दिनांक 05.01.2023 एवं अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई त्रुटि सहायक कलक्टर सांचौर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2011 के स्थान पर 63/2011 दर्ज किये जाने का आदेश पारित करावे।

अपीलांट अधिवक्ता के प्रार्थना का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत अपील अपीलांट अधिवक्ता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.01.2023 को प्रस्तुत की गई थी। किन्तु भूलवश लिपिकीय त्रुटि से हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत दिनांक 06.01.2023 के स्थान पर दिनांक 05.01.2023 अंकित हो गया है, जिसे न्यायहित मे सुधारा जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपीलांट अधिवक्ता भूलवश सहायक कलक्टर सांचौर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2011 के स्थान पर 63/2011 दर्ज होने के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिकाओ की प्रमाणित फोटोप्रति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील सहायक कलक्टर सांचौर के समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। एंव आदेश दिया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 05/2022 दीपीका देवी बनाम चुन्नीदेवी वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2023 के स्थान पर 06.01.2023 पढा जावे। संबधित अहलमद उक्त संशोधन का लाल स्याही से अंकन करे। अपीलांट अधिवक्ता प्रस्तुत अपील मीमो के अन्तर्गत सहायक कलक्टर सांचौर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2011 के स्थान पर 63/2011 संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलांट अधिवक्ता अपील मीमो के प्रथम पृष्ठ की संशोधित प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली